UPMZ0100653120 26

न्यायालय Addl.Distt and Sess. Judge Court No-4/Special Judge (E.C. Act), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Anurag Panwar), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02638

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2576/2026

इरशाद पुत्र नफीस, निवासी–टंकी के पास खालापार, थाना–खालापार, जिला–मुजफ्फरनगर।

... अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य ... विपक्षी

मु0अ0सं0–60/2026, अन्तर्गत धारा–3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, थाना–चरथावल, जिला–मुजफ्फरनगर के मामले में आवेदक इरशाद की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र, किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। उसे पुलिस द्वारा पूछता के बहाने घर से उठाकर, थाने पर बैठकर लिखा पढी कर, जेल भेजा गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। वह दिनांक 23.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः उसे जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

उक्त के विरोध में सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के द्वारा गौवंश की हत्या की गयी, अभियुक्त को मौके पर ही पकडा गया। मौके से एक लोहे की कुल्हाडी, एक दाओ, एक छूरी, एक प्लास्टिक का कट्टा नीले रंग का मिला। अभियुक्त का अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः उसका जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

संक्षेप में अभियोजन कथन है कि दिनांक 23.04.2026 को वादी मुकदमा अजीत सिंह द्वारा थानाहाजा पर इस आशय की तहरीर दर्ज करायी गयी कि दिनांक 22.04.2026 को वह अन्य के साथ अपने गांव पावटी खुर्द की तरफ टंकी वाले रास्ते से आ रहा था, मोड पर एक व्यक्ति हाथ में छूरी लिए अपनी स्कूटी नं0–यू0पी0–12 बी0एफ0–4886 रंग सफेद के पास खडा था, जिसके हाथ खून में सने थे, शक होने पर टोका तो गन्ने के खेत की तरफ भागा तथा एक गोवंश बछडा, जिसके गले से खून बह रहा था, गांव की तरफ भागता दिखायी दिया। शोर मचाया तथा 112 पर सूचना दी। पुलिस व उन्होंने उक्त व्यक्ति को पकड लिया। इसने अपना नाम इरशाद पुत्र नफीस बताया। स्कूटी से कुछ ही दूरी पर हरपाल पुत्र मनफूल के खेत में एक लोहे की कुल्हाडी, एक दाओ, एक छूरी, एक प्लास्टिक का कट्टा

Digitally signed by ANURAG PANWAR
Date: 2026.06.15 17:16:01 IST
Reason: Bail Order
Location: A.S.J. Court No.4/Spl. Judge (E.C. Act), Mzn

नीले रंग का मिला। पूछने पर बताया कि जंगल में घूमने वाले बछडे को पकडकर उसकी हत्या करने के लिए उसके गले को छूरी से काट दिया था, जो उससे छूटकर भाग गया था। तलाश करने पर उक्त बछडा नवीन के घर सामने मरा हुआ पडा मिला। उक्त के आधार पर मुकदमा कायम कर व कार्यवाही अमल में लायी गयी।

न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्कों को सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों (केस डायरी)/पत्रावली का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोप है कि उसके द्वारा गौवंश की हत्या की गयी, अभियुक्त को मौके पर ही पकडा गया। मौके से एक लोहे की कुल्हाडी, एक दाओ, एक छूरी, एक प्लास्टिक का कट्टा नीले रंग का मिला। घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक बछडा भी मृत अवस्था में पाया गया, जिसके गले से ताजा खून बह रहा था। पुलिस द्वारा अभियुक्त को घटनास्थल का निरीक्षण कराने के लिए ले जाने पर अभियुक्त द्वारा भागने का प्रयास किया गया तथा पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर भी किया गया। उपरोक्त कृत्य के लिए अभियुक्त पर मु०अ०सं०-61/2026 अन्तर्गत धारा-109(1) बी०एन०एस० भी पंजीकृत किया गया। अभियुक्त पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रकृति के हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस आख्यानुसार अभियुक्त पर पूर्व में भी मु0 अ 0 सं0-243/2018, अन्तर्गत धारा-3/5/8 व धारा-3/11 एवं धारा-429 भा0 द 0 सं0, गौवध निवारण अधिनियम व मु0 अ 0 सं0-71/2011, अन्तर्गत धारा-3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा-3/4 गुण्डागर्दी अधिनियम का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में यह न्यायालय जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकृत करने से पूर्व धारा-7A (1)(b) उ०प्र० गौवध निवारण अधिनियम के आदेशात्मक प्राविधान का अनुपालन सुनिश्चित करने में असमर्थ है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त/आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं पाती है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त इरशाद पुत्र नफीस द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है। अभियुक्त को इस आदेश की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

(अनुराग पंवार)
I.D. UP 2638
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-4/
विशेष न्यायाधीश (ई 0 सी0 एक्ट),
मुजफ्फरनगर।

दिनांकः 15-06-2026